न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण स0/19/18/गुण्डा एक्ट

राज0 सरकार बनाम मदनसिंह आ0 उम्मेदसिंह उर्फ उमेश नि0 सिघानिया

दिनांक हुक्म	कार्यवाही
26.08.19	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.08.2019 को जन्मअष्टमी का अवकाश घोषित करने से आज पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित वकील गैर सायल अनुपस्थित बहस सुनी गई गैर सायल द्वारा अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि पुलिस द्वारा मेरे उपर दोनो के जबरदस्ती से बनाये गये है जबवि [illegible] ुआ सट्टा नही खेलता हूँ धागा फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य कर परिवार का भरण पोषण करता हूँ। उक्त दोनो प्रकरण वर्ष 2016 मे दर्ज किये गये थे–उसके बाद से आज तक प्रार्थी के विरूद्व कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है। अतः इस्तगासा खारिज फरमाकर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही से बरी करने की कृपा करें। मैने बहस गैर सायल पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। राज0 गुण्डा नियत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के संदर्भ मे अध्ययन करने पर पाया जाता है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रकरणो में से कोई भी प्रकरण गेर सायल के विरूद्व अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत इस न्यायालय में कार्यवाही आरम्भ किये जाने से ठीक 6 माह पूर्व की अवधि के दोरान का नही है, जबकि धारा 2 (ख)के स्पष्टीकरण में उपबंधित किया गया है कि धारा 2 (ख) में शब्द "अभ्यस्त" या "आदि" जहां भी प्रयुक्त होता है उसका अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो धारा 3 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारम्भ किये जाने से ठीक 6 माह पूर्व की अवधि के दोरान धारा 2 (ख) के उपखण्ड (1),(6),(7)या (8) में वर्णि [illegible] ापराधो या कृत्यो को कम से कम तीन अवसरों पर करते हुए पाया जाए। प्रस्तुत प्रकरण में गैर सायल के विरूद्व दर्शित अपराध, धारा 3 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे कार्यवाही आरम्भ किये जाने से ठीक 6 माह पूर्व की अवधि के दौरान के नही होने से गैर सायल के विरूद्व राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जो कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत नही होती है। अतः गैर सायल मदनसिंह आ0 उम्मेदसिंह उर्फ उमेश सिंह निवासी सिंघानिया को राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही से मुक्त करता हूँ। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो नर्णय आज खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया । ह० अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ (राज०)